संख्या–200 / 9–आ–4–2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश
3. **उपाध्यक्ष,**
   मसूरी–देहरादून / लखनऊ
   विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : 18 जनवरी, 2000

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित रू0 5 लाख से कम की धनराशि होने पर किस्तों की सुविधा अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 82 / 9–आ–96–629एन / 95, दिनांक 17 फरवरी, 1996 तथा संख्या– 623 / 9–आ–4–96–629एन / 95, दिनांक 2 अप्रैल, 1996 में आवासीय औद्योगिक, कार्यालय तथा यातायात प्रयोजन आदि की श्रेणी की नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि रु0 5 लाख से अधिक की ही होने की दशा में किस्तों की सुविधा अनुमन्य की गयी है। अब प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु रु0 5 लाख से कम आंकलित धनराशि के मामलों में भी आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर चार छमाही किस्तों में (दो वर्ष में) 15 प्रतिशत साधारण ब्याज लेकर भुगतान करने की सुविधा आवेदक को प्रदान की जायेगी।

2. उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों में उल्लिखित अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा उक्त व्यवस्था से समस्त निकायों की भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।